

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 64/2023

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री मुकेश तिलवानी पुत्र श्री डालूमल तिलवानी, मैसर्स मुकेश स्टोर, संत कंवरराम कॉलोनी के पीछे, फॉयसागर रोड, अजमेर।

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा  
26 की उप धारा (2) (V) एवं धारा 58 के तहत

अप्रार्थी अभिभाषक श्री अब्दुल रशीद

—: आदेश :-

27.6.25  
दिनांक-27.06.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने Contravenes Regulation लाल मिर्च पाउडर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (V) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीदबिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जाँच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.06.2023 को दोपहर 02:30 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री केसरी नन्दन शर्मा मैसर्स मुकेश स्टोर, संत कंवर राम कॉलोनी के पीछे, फॉयसागर रोड अजमेर पर पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री मुकेश तिलवानी पुत्र श्री डालूमल तिलवानी मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक के कट्टे में 40 किलोग्राम लाल



न्याय निर्णायन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रो.), अजमेर

मिर्च पाउडर विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त लालमिर्च पाउडर की गुणवत्ता का शक होने पर उनमें से नमूना जाँच हेतु 02 किलोग्राम लाल मिर्च पाउडर 600/- रूपयें श्री मुकेश तिलोकानी को नगद देकर गवाह श्री मुकेश कुमार वैष्णव के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मुकेश तिलवानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा लाल मिर्च पाउडर को विक्रेता के सामने चार सूखी खाली प्लास्टिक बोतल में प्रत्येक में बराबर-बराबर मात्रा में भरकर चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात् लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-3807 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बादलिये गये नमूनों को अपने जाप्ते में लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने में से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर में सील बंद कर डी ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/8984 दिनांक 03.07.2023 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस/737/एक्ट/2023/771 दिनांक 31.05.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच विक्रय किया गया लाल मिर्च पाउडर **Contravenes Regulation** होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय में दिनांक 04.10.2023 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 04.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री मनीष तिलवानी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 20.12.2023 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 20.12.2023 को अप्रार्थी संख्या 1, की ओर से श्री अब्दुल रशीद ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं दिनांक 17.10.2024 को अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया।

नियत पेशी दिनांक 26.06.2025 को अप्रार्थी की ओर से वकील अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किये गये पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया लाल मिर्च पाउडर **Contravenes Regulation** होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगणद्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (V) के तहत **Contravenes Regulation** खाद्य पदार्थबेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में **Contravenes Regulation** पाये जाने पर शकित आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

न्याय निरायिन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रो.), अजमेर



अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (V) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी पर रू. 10,000/- (अक्षरे रू. दस हजार) की शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नामई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 26.06.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ज्योति ककवानी)

न्यायाधी निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रो.) अजमेर

दिनांक :

क्रमांक : सरिस्ता/अपर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
- 3- सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन अजमेर
- 4- श्री मुकेश तिलवानी पुत्र श्री डालूमल तिलवानी, मैसर्स मुकेश स्टोर, संत कंवरराम कॉलोनी के पीछे, फॉयसागर रोड, अजमेर।

न्यायाधी निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रो.) अजमेर